न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 ५४७ सन 2018
अनवान :–

1. बनवारीलाल पुत्र हरलाल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. हरलाल पुत्र खेताराम जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
2. हरीसिह पुत्र हरलाल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
3. कलावती पुत्री हरलाल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
4. चिडिया 5 गुडडी 6 सरला पुत्रीया हरलाल जाति जांगिड ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर
7 .राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30.10.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा बडबिराना के खाता संख्या 157/146 के खसरा न0 47 की 8.7620हैक , खसरा न0 63 की 0.5690हैक , ,खसरा न0 244/2 की 21.3350हैक , खसरा न0 245 की 4.6160हैक खसरा न0 684 की 2.0110हैक कुल 37.2570हैक भूमि सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 6 आर.एम.जी के खाता संख्या 87/87 के प0न0 357/460(11) के किला न0 4 ता 9 ,12 ,13 ,18 कुल किता 9 की 2.21375हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खेता वल्द पूर्ण के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 पर औद हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति होने के कारण वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का जन्म से ही हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीया है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्व हो चुका है ने भी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के कारण विरास्तन से मेरे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसके कारण वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का

पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूति है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता खेता वल्द पूर्ण के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो जाने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की आपसी सहमति एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 , 3 ता 6 के द्वारा अपने हकों का त्याग करने के राज्यहकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित हैं।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 157/146 की कुल 37.2570हैक भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.10.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)